

# ऑनलाईन आवेदन करने हेतु

## आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि जमा करने की प्रक्रिया

ऑनलाईन आवेदन करने के लिये आवेदित की जाने वाली दुकान हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि को निम्नानुसार किसी भी एक प्रक्रिया द्वारा जमा कराया जा सकता है :-

### 1. डी.डी. द्वारा भुगतान

- निर्धारित आवेदन शुल्क तथा अमानत राशि के बराबर की राशि के दो अलग - अलग डी. डी. (एक आवेदन शुल्क तथा दूसरा अमानत राशि हेतु) बनवाने होंगे।
- उक्त दोनों डी. डी. संबंधित जिला आबकारी अधिकारी जहाँ आवेदन किया जाना है, के नाम बनवाये जायेंगे।
- निर्धारित राशि से कम राशि के डी. डी. जमा कराये जाने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा एवं लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- अमानत राशि के डी.डी. के पृष्ठ भाग पर रजिस्ट्रेशन क्रमांक, आवेदक का नाम तथा एकाधिक (Multiple) आवेदन क्रमांक तथा आवेदन शुल्क के डी.डी. के पृष्ठ भाग पर रजिस्ट्रेशन क्रमांक, आवेदक का नाम, एकाधिक (Multiple) आवेदन क्रमांक, आवेदन क्रमांक एवं आवेदित दुकान की सूचना आवश्यक रूप से लिखी जानी चाहिये।
- सॉफ्टवेयर से प्रिंट किये गये आवेदन प्रपत्र के साथ उक्त डी.डी. मय वांछित दस्तावेज संलग्न कर संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से जमा कराये जाने होंगे।

### 2. ई-ग्रास चालानों के माध्यम से अमानत राशि तथा आवेदन शुल्क निर्धारित बैंक में जमा कराया जाना

इस माध्यम द्वारा अमानत राशि एवं आवेदन शुल्क जमा कराने के ई-ग्रास चालान बनाये जाकर संबंधित जिले जिसमें आवेदन किया जाना है, की निर्धारित बैंक शाखा में नगद, चेक अथवा डी.डी. द्वारा निर्धारित राशि जमा कराई जा सकती है। इसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

- इस कार्य हेतु आबकारी विभाग के ऑनलाईन आवेदन की वेबसाइट पर "आवेदक सैक्शन" में "बैंक में राशि जमा कराने का ई-ग्रास चालान बनाये" लिंक पर क्लिक करें।
- "आवेदक क्रमांक एवं मोबाइल नम्बर" दर्ज कर "खोजें" बटन पर क्लिक करें
- आवेदक द्वारा किये गये समस्त आवेदनों की सूचना की सूचना प्रदर्शित होगी।
- आवेदन शुल्क अथवा अमानत राशि जिसका भी चालान बनाया जाना है उसके लिए जमा कराई जाने वाली राशि दर्ज कर "मैनुअल आवेदन चालान" अथवा "मैनुअल अमानत चालान" बटन पर क्लिक करें, ई-ग्रास की वेबसाइट खुल जाएगी।
- सम्बन्धित जिले में राशि जमा करने के लिए निर्धारित बैंक ब्रांच की सूची प्रदर्शित होगी जिसमे से उस ब्रांच को सैलेक्ट करें जिसमे चालान द्वारा राशि जमा कराई जानी है।
- तत्पश्चात, "Pay Now" प्रदर्शित होगा बटन पर क्लिक चालान जिसका प्रिंट लिया जाना होगा।

- उक्त प्रक्रियानुसार आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि दोनों के अलग-अलग चालान बनावें |
- उक्त चालानों द्वारा निर्धारित बैंक शाखा में देय राशि जमा करावें तथा चालानों की सूचना "किये गये भुगतान की सूचना दर्ज करें या भुगतान करें" लिंक पर उपलब्ध "भुगतान प्रक्रिया" फार्म में दर्ज करें |
- प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट पर उपलब्ध "यूजर मैनुअल" का अध्ययन करें|

### 3. ऑनलाईन भुगतान

ऑनलाइन भुगतान निम्नलिखित प्रक्रियानुसार किया जा सकेगा :-

- इस कार्य हेतु आबकारी विभाग के ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट पर आवेदक रजिस्ट्रेशन के पश्चात आवश्यकतानुसार विभिन्न मदिरा दुकानों के लिए आवेदन करें |
- तत्पश्चात, वेबसाइट पर "आवेदक सैक्शन" में उपलब्ध "किये गये भुगतान की सूचना दर्ज करें या भुगतान करें" लिंक पर उपलब्ध "भुगतान प्रक्रिया" फार्म में अमानत राशि एवं आवेदन शुल्क जिसका भी भुगतान करना है के सैक्शन में "भुगतान का माध्यम" कॉलम में "आबकारी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान" ऑप्शन को सलैक्ट करें |
- इस सैक्शन में प्रदर्शित "भुगतान करें" बटन पर क्लिक करें ई-ग्रास की वेबसाइट खुलेगी |
- बैंक जिसके माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जाना है को सेलेक्ट करें तथा "Pay Now" बटन पर क्लिक करें |
- चुने गये बैंक की इन्टरनेट बैंकिंग की वेबसाइट खुलेगी | इस वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान की निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए ऑनलाइन भुगतान की कार्रवाई को पूर्ण करें|
- E-Challan प्रदर्शित होगा जिसका प्रिंट आवेदक द्वारा लिया जाना चाहिये |
- इसी प्रक्रिया द्वारा ई-ग्रास वेबसाइट एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट में मध्य बने कनेक्शन को बिना तोड़े पुनः आबकारी विभाग की वेबसाइट प्रदर्शित होने दें |
- उक्त प्रक्रिया के अनुसार जिस मद का भुगतान किया गया है का भुगतान कर दिया जाना स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा |
- उक्त प्रक्रिया को अपनाते हुए दूसरे मद का भी ऑनलाइन भुगतान करें |
- प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट पर उपलब्ध "यूजर मैनुअल" का अध्ययन करें |